



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (शा०)

(सं० पटना 445) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

30 अगस्त 2012

सं० एल०जी०-1-11/2012/लेज: 383—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल [दिनांक 27 अगस्त, 2012](#) को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

---

[बिहार अधिनियम 16, 2012]

**बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012**

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**— (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।  
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
 (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन।**— धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक “तैंतीस (33)” एवं “तीस (30)” शब्द, कोष्ठक एवं अंक “तिरसठ (63)” एवं “साठ (60)” द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन।**— धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक “तैंतीस (33)”, एवं, “तीस (30)” शब्द, कोष्ठक एवं अंक “तिरसठ (63)” एवं “साठ (60)” द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेज़: 384—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 27th August 2012 को अनुमत **बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

## [Bihar Act 16, 2012]

## **The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012**

AN

ACT

To amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement .** – (1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012.  
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.  
(3) It shall come into force at once.
  2. **Amendment in Section-12 of the Bihar Land Mutation Act, 2011 .** – In Sub-Section (2) of Section-12, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.
  3. **Amendment in Section-13 of the Bihar Land Mutation Act, 2011.** – In Sub-Section (2) of Section-13, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.

By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA,  
*Secretary to Government.*

## अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 445-571+400-टी०टी०पी०।

**Website:** <http://egazette.bih.nic.in>